PUBLICATION NAME :	Rajasthan Patrika
EDITION :	Ahmedabad
DATE :	30/11/23
PAGE :	1

पहले चरण में 2000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा लाभ

विद्यार्थियों को छोटे उद्योग के लिए राज्य सरकार देगी ₹40 हजार

ईडीआईआई के साथ किया एमओयू

500 नोडल अफसरों की होगी नियुक्ति

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अहमदाबाद. राज्य के कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए गांधीनगर में बुधवार को उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल की उपस्थिति में विद्यार्थी उद्योग साहसिकता नीति के अमलीकरण के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) के साथ एमओयू किया गया।

राज्य की सरकारी एवं गैर सरकारी अनुदानित आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बी.एड, लॉ कॉलेजों तथा ग्राम्य विद्यापीठ में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नीति को लेकर यह एमओयू किया है। इसके तहत पहले चरण में 500 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जिसके बाद 2000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों को उद्योग साहसिकता नीति प्रोग्राम के तहत शामिल किया जाएगा और चयनित विद्यार्थियों को उद्योग शुरू करने के लिए 40 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

माना जा रहा है कि इस नीति के लागू होने से विद्यार्थियों में नए विचार, कौशल और प्लेटफार्म मिलेगा। एमओयू के दौरान उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मुकेश कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक परिमल पंड्या और संस्थान के महानिदेशक डॉ सुनील शुक्ला समेत कई अग्रणी मौजूद रहे।

कार्यशाला लगाकर प्रशिक्षण

ईडीआईआई इस नीति का अमलीकरण फैकल्टी को उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण के मार्फत करेगी। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनेउद्यम स्थापित करने में मदद मिलेगी। वर्ष 1983 में स्थापित ईडीआईआई को कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की ओर से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्यरत है। शिक्षा विभाग ने इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है।

गुजरात को वैसे भी उद्यम से जुड़ा राज्य माना जाता है। ऐसे में इस नीति के तहत विद्यार्थियों को कॉलेज के समय से इस तरह के प्रशिक्षण देने से उद्यमिता का और विकास होगा।